आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 51/सन–2024– 25

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24.03.2025	–:आदेशः – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 51/2024– 25 आवेदक समीम अंसारी, पिता– कमरूद्दीन अंसारी, साकिन– पारहोडीह, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदक ने अचंल धनवार अन्तर्गत मौजा– पारहोडीह, थाना नं0– 143 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– II, पृष्ठ सं0– 61 पर कायम जमाबंदी कादीर मियां वगैरह से 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां एवं 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने का आवेदन किया है प्राप्त आवेदन के आलोक में उन्होंने विविध वाद के आधार पर नियम अनुसार 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां एवं 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की है। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा– पारहोडीह/143 के ऑनलाईन पंजी– II के भाग सं0– II पृष्ठ सं0– 61 पर कायम जमाबंदी में से 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आम इश्तेहार में जमाबंदी में दर्ज रैयत इदरीस मियां तथा रही मियाँ मे जीवित वारिशानों ने भी हस्ताक्षर किया है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जमाबंदी में दर्ज रैयत इदरीश मियॉ तथा रहीम मियॉ के जीवित वारिशानो ने अपना वंशावली भी मुखिया से सत्यापित करके समर्पित किया है। साथ ही शपथ पत्र सं0– 68, दिनांक– 13.03.2025 के माध्यम से भी इदरीस मियाँ तथा रहीम मियाँ के जीवित वारिशानों ने वंशावली उपलब्ध कराया है तथा शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उनलोगों के पिता इदरीस मियाँ पिता बुधन मियाँ तथा 2. रहीम मियाँ पिता सुकर मियाँ का नाम अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– परहोडीह, थाना नं0– 143 के ऑनलाइन पंजी– II के भाग सं0– 02, पृष्ठ सं0– 61 पर कायम जमाबंदी में से हटा दिया जाए। जाँच प्रतिवेदन, शपथ पत्र सं0– 68/13.03.2025, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति मे अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– पारहोडीह/143 के ऑनलाईन पंजी– II के भाग सं0– II पृष्ठ सं0– 61 पर कायम जमाबंदी में से 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 05 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 24.03.25 अंचल अधिकारी, धनवार। 24.03.25 अंचल अधिकारी, धनवार।	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.03.24 12:32:47 +05:30
Location: 192.168.66.65